Newsletter

पूनर्नवा

...bouncing back to life again and again...

April - June 2019

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

Newsletter

पूनर्नवा

...bouncing back to life again and again...

Mentor	:	Sri Vyas Ji, IAS (Retd.), Vice-Chairman BSDMA, Sri U. K. Misra, Member BSDMA
Editor in Chief	:	Sri S. B. Tiwari (OSD to VC)
Sr. Editor	:	Dr. Madhubala Singh
Editorial Board	:	Sri B. K. Mishra, Sri Ajit Samaiyar, Sri Shankar Dayal, Sri Praveen Kumar, Dr. Jeevan Kumar, Dr. Pallav Kumar
IT	:	Smt. Sumbul Afroz, Sri Manoj Kumar
Write us on : E-mail	:	info@bsdma.org
Website & Social Media	:	www.bsdma.org, www.facebook.com/bsdma

Contents

माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन श्री लक्ष्मेश्वर राय द्वारा प्राधिकरण भ्रमण 1

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर एन.डी.आर.एफ. ने नौका दुर्घटना एवं बचाव पर किया संयुक्त मॉक अभ्यास 6

दानापुर–छपरा दियारा गंगा नदी में बाढ़ बचाव पर आधारित एक संयुक्त मॉकड्रिल–"मदद" का आयोजन 13

एन.डी.आर.एफ. द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में भूकम्प सुरक्षा पर संयुक्त मश्कक अभ्यास 'सहयोग' का आयोजन 14

जल संकट एवं उसका समुदाय तथा विभिन्न सेवाओं पर प्रभाव विषय पर एक दिवसीय मंत्रणा 18

" सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं का मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण 24

अग्नि सुरक्षा सप्ताह, बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून 2019) की तैयारियों हेतु आयोजित बैठक।	2
बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला	7
Consultative Workshop on Partnership with Media for Disaster Risk Reduction and Saving Lives पर कार्यशाला	9
बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं से संबंधि त विभागों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला	10
''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में मीडिया की भूमिका'' पर कार्यशाला भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल	12
भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा मॉकड्रील	15
''सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम– महिलाओं का मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षण''	16
बिहार में गर्म हवाएं/लू की कार्य योजना (Heat Action Plan) पर कार्यशाला	21
अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण।	22
मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम	23
"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं का मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण	24
आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर बिहार के सभी जिलों के प्रखण्डों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	25
आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	27
"Management of Animals in Emergencies" विषय पर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण।	29
राज्य में केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर संशोधित जुर्माने	30

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन श्री लक्ष्मेश्वर राय द्वारा प्राधिकरण भ्रमण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय ने आज दिनांक 06 जून को प्राधिकरण का भ्रमण किया और प्राधिकरण की गतिविधियों और कार्यक्रमों जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी एवं सदस्यगण डॉ. उदायकांत मिश्र एवं श्री पी. एन. राय तथा प्राधिकरण के वरीय पदाधिकारी एवं प्रोफेशनल्स आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ मे प्राधिकरण की परियोजना डॉ. मुध बाला ने माननीय मंत्री का स्वागत किया और तत्पश्चात वरीय संपादक, मोनीषा दुबे ने आपदा प्रबंधन के विकास एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विहित कार्यों, संगठनात्मक ढांचा आदि को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त सभी प्रभाग के प्रोफेशनल्स द्वारा संबंधित प्रभाग प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, मानव जनित प्रभागों एवं मीडिया आई.टी. विभाग की गतिविधियों और कार्यक्रमों पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्राधिकरण इस प्रकार अपने कार्यक्रमों को पूरी तत्परता से करते रहे और प्राधिकरण के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाये। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के पदाधिकारीगण तन्मयता के साथ कार्य कर रहे है तथा बिहार को आपदा मुक्त बनाने की अच्छी पहल कर रहे है। साथ ही साथ धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है जिससे की अधिक से अधिक लोगों की जान बचायी जा सके तथा जान माल की क्षति कम से कम हो। उन्होंने प्राधिकरण के कार्यक्रमों और गतिविधियों को हर प्रकार से अपना सहयोग एवं मर्गदर्शन प्रदान करने का भरोसा दिया। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते हुए कहा कि इसे गाँवों तक ले जाने की आवश्यकता है। शहरों में तो लोग मकान बना लेते है क्योंकि उनके पास संसाधन है। लेकिन गांव में संसाधनों की कमी तथा जागरूकता भी कम है। इसलिए गांव में राजमिस्त्रियों को सुरक्षित मकान एवं भवन बनाने का प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। माननीय मंत्री ने प्राधिकरण के कार्यक्रमों और गतिविधियों में अपनी रूची दिखाई और अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यक्रम के अंत में प्राधिकरण के वरीय सलाहकार श्री अजित कुमार समैयार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। माननीय मंत्री को इस अवसर पर उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

अग्नि सुरक्षा सप्ताह,

(14–20 अप्रैल, 2019)

बिहार बहुआपदा प्रवण राज्य है। राज्य में अगलगी की घटनाएँ काफी संख्या में होती हैं जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों प्रभावित होते हैं। जो मुख्यतः गर्मी के मौसम में होता है।

राज्य सरकर ने अग्नि से होनेवाली क्षति से जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14–20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। जिसमें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों संचालित की जाती है। सरकार के निर्णय के आलोक में प्राधिकरण द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह (14–20 अप्रैल, 2019) पर विभिन्न हितभागियों जैसे – बिहार अग्निशाम सेवाऐं, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, आई.सी.आइ.सी.आई. फाउंडेशन, एस.डी.आर.एफ., रोटरी, पटना, प्रेरणा, आपसदारी कला मंच के सहयोग से प्राधिकरण के सदस्य पी. एन. राय के मार्गदर्शन में जन–जागरूकता के निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये :–

(क) दिनांक 14.04.2019 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा बिहार अग्निशमन सेवा तथा रोटरी, पटना के संयुक्त तत्वावधान में अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरूआत पुष्पांजलि वेकंटेश अपार्टमेंट, बुद्वमार्ग, पटना के कैम्पस से किया गया जिसमें अपार्टमेंट के लोगों को आग लगने से बचने के उपाए एवं गैस सिलेण्डर के आग लगने पर बचने के तरीके व उपाय के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, साथ ही अपार्टमेंट के लोगों द्वारा आग बुझाने का माक अभ्यास भी किया गया।

(ख) सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता संबंधी सलाह (Advisory) के प्रकाशन हेतु सलाह का प्रारूप ई–मेल के द्वारा भेजा गया।

(ग) अग्नि सुरक्षा संबंधित नुक्कड़ नाटक एवं मॉकड्रिल निम्नलिखित स्थानों पर कराया गयाः–

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अलावे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अग्नि सुरक्षा के उपाय पर आधारित ''क्या करें, क्या न करें'' से संबंधित फ्लैक्सी बनवाकर ICICI फाउंडेशन तथा कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट के छात्रों द्वारा झुग्गी–झोपड़ियों में लगातार सातों दिन तक अग्नि सुरक्षा पर जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया गया तथा झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

दिनांक 18.04.2019 को नेशनल बिल्डिंग कोड पर

दिनांक	संस्था	नुक्कड़ नाटक	संस्था	मॉकड्रिल
	निर्माण कला मंच	सेन्ट्रल मॉल, मौर्यालोक कॉम्पलेक्स तथा महाराजा कामेश्वर कॉम्पलेक्स	एस0डी0आर0एफ एवं बिहार अग्निशमन सेवा	बी0 फॉर नेशन, दक्षिणी मंदिरी, पटना समयः– 04:30 बजे अप0 संपर्क नं0–9316789150
	निर्माण कला मंच	गांधी मैदान, इको पार्क तथा बुद्धा स्मृति पार्क	एस0डी0आर0एफ एवं बिहार अग्निशमन सेवा	दयानंद ब्यॉज हाई स्कूल, मीठापुर, दयानंद ब्यॉज हाई स्कूल, मीठापुर समय– 09:30 बजे पूर्वा0 संपर्क नं0– 7004209783
	प्रेरणा (जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा)	पाटलिपुत्रा, यारपुर तथा कमलानगर	एस0डी0आर0एफ एवं बिहार अग्निशमन सेवा	मीलर हाई स्कूल, वीरचंद पटेल पथ, अदालतगंज मिडिल स्कूल, वाटर टॉवर संपर्क नं0– 7004209783
	प्रेरणा (जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा)	अदालतगंज, केतारी मोहल्ला एवं गौस नगर समय–02:30 बजे अप0 संपर्क नं0– 7004209783	एस0डी0आर0एफ एवं बिहार अग्निशमन सेवा	जलापुर सिटी, बेली रोड
	प्रेरणा (जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा)	यारपुर डोमखाना, यारपुर मुसहरी, यारपुर मेस्तरपारा समय–02:30 बजे अप0 संपर्क नं0– 7004209783	एस0डी0आर0एफ एवं बिहार अग्निशमन सेवा	दरभंगा हाउस, राजनीति शास्त्र विभाग समय–03:30 बजे अप0
	प्रेरणा (जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा)	कमला नेहरू नगर – फेज– I, II, III समय– 2:30 बजे अप0 संपर्क नं0– 7004209783	एस0डी0आर0एफ एवं बिहार अग्निशमन सेवा	अपार्टमेंट
	प्रेरणा (जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा)	कृष्णापुरी पार्क, ए0एन0 कॉलेज, पी0 एण्ड मॉल समय– 2:30 बजे अप0	एस0डी0आर0एफ एवं बिहार अग्निशमन सेवा	नेहरूनगर, गोसांईटोला स्कूल/राजशिला अपार्टमेंट, बेली रोड, शेखपुरा
	कोशिश	पेटिंग, श्लोगन एवं लेखन प्रतियोगिता	बी0एस0डी0एम0ए0 एवं कोशिश	इको पार्क, गेट नं0– 01

आधारित कार्यशाला का आयोजन अग्निशाम सेवाओं तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें विभिन्न हितभागियों यथा – अस्पताल, स्कूलों, होटलों, मॉल, बिल्डर्स एसोसिएशन, पुलिस प्रशासन, गृह विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि ने भाग लिया।

दिनांक 20.04.2019 को विभिन्न विद्यालयों, रेनबो होम्स, बी.फॉर.नेशन तथा स्लम के लगभग 400 बच्चों के बीच पेंटिग, क्विज एवं नारा लेखन (अग्नि सुरक्षा पर आधारित) प्रतियोगिता का आयोजन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं का चयन निर्णायक मंडली जिसमें श्री पवन, कार्टूनिस्ट हिन्दुस्तान, पटना, प्रो0 जयश्री, गुलजारबाग महिला महाविद्यालय, श्रीमती माधुरी भट्ट एवं श्रीमती इन्दु उपाध्याय, शिक्षिका, संत जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, महेन्द्रु, पटना के द्वारा किया गया। कार्यक्रम स्थल पर ही प्रतियोगिता में विजेताओं को श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री पी.एन. राय, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पुरस्कृत किया गया।

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून 2019) की तैयारियों हेतु आयोजित बैठक।

दिनांक 17.05.2019 को प्राधिकरण के सभाकक्ष में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून 2019) की तैयारियो हेतु बैठक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न हितभागियों यथा – जल संसाधन स्वास्थ्य विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, पशुपालन विभाग,एन0 डी0 आर0 एफ0,एस0 डी0 आर0 एफ0 तथा आई0 एन0 जी0 ओ0 के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसमें कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्यक्रम	उत्तरदायित्व / नोडल	हितभागी	स्थान
प्रेस वार्ता	**प्राधिकरण / आई.पी.आर.डी.**	**मीडिया कर्मी**	**संवाद कक्ष, आई.पी.आर.डी.**
बाढ़ सुरक्षा संबंधी मॉकड्रिल	दियारा विकास मंच, एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. एवं प्राधिकरण	दियारा के ग्रामीण	हल्दी छपरा, मनेर
बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु अति बाढ़ प्रवण जिलों के मुखिया के साथ राज्यस्तरीय कार्यशाला	प्राधिकरण और डेवलपमेंट पाटनर्स	मुखिया / ग्रमीण विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग / एन.डी.आर.एफ. / एस.डी.आर.एफ. / गृह रक्षा वाहिनी / अग्निशाम सेवाऐं / नागरिक सुरक्षा / जीविका	बामेती
मीडिया कंसल्टेसन वर्क्स सॉप	यूनिसेफ / प्राधिकरण	इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया / एफ.एम. चैनल्स कम्युनिटी मीडिया	मौर्या / चाणक्या
सामजिक क्षेत्र की सेवाऐं प्रदान करने वाले विभागों के साथ राज्यस्तरीय समीक्षात्मक कार्यशाला	प्राधिकरण / यूनिसेफ	आपदा प्रबंधन विभाग / समाज कल्याण विभाग / आइ.सी.डी.एस. / पशुपालन विभाग / पंचायती राज विभाग / स्वास्थ्य विभाग / पी.एच.ई.डी. / ग्रामीण विकास विभाग / शिक्षा विभाग	ए.एन. सिन्हा इंस्टीच्यूट / चाणक्या होटल

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर एन.डी.आर.एफ. ने नौका दुर्घटना एवं बचाव पर किया संयुक्त मॉक अभ्यास

01 . 07 जून तक पूरे बिहार राज्य में मनाये जा रहे बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर शनिवार 1 जून को 9 बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से नौका दुर्घटना एवं बचाव पर आधारित एक संयुक्त मॉक अभ्यास का सफल आयोजन मनेर (पटना) के हल्दी छपरा घाट पर किया गया। एन.डी.आर.एफ. टीम का नेतृत्व श्री अभिषेक कुमार राय, उप कमान्डेंट ने किया। इस संयुक्त मॉक अभ्यास में 300 से अधिक स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों ने भाग लिया जिसमें एन.डी. आर.एफ. के साथ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एस.डी.आर.एफ., दियारा विकास मंच तथा स्थानीय लोग शामिल थे।

इस संयुक्त मॉक अभ्यास में श्री व्यासजी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर श्री पी० एन० राय, सदस्य, बी०एस०डी०एम०ए०, श्री उदय कान्त मिश्रा, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री अभिषेक कुमार राय, उप कमान्डेंट, 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ०, श्री के० पी० बरई, असिस्टेंट कमान्डेंट तथा अन्य विशिष्ट लोग मौजूद थे।

बाढ़ बचाव पर आधारित इस मॉक अभ्यास के प्रथम चरण में एन०डी०आर०एफ० के बचावकर्मियों द्वारा स्थानीय घरेलु सामानों की मदद से राफ्ट बनाने की विधि तथा इसका उपयोग के तरीके बताये गए। फिर, बाढ़–बचाव के विभिन्न तकनीक व डूबे हुए व्यक्ति के अस्पताल पूर्व चिकित्सा की जानकारी डेमो व अभ्यास के माध्यम से बताया गया।

दूसरे चरण में गंगा नदी में एक सिविल नौका दुर्घटना का चित्रण किया गया था। नौका दुर्घटना के बाद स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा प्रथम रेस्पांडर के रूप में कार्यवाही की गई। फिर, अन्य लोगों को बचाने के लिए ड्यूटी में नजदीक के घाट पर तैनात एन०डी०आर०एफ० टीम को बुलाया गया। एन०डी०आर०एफ० के बचावकर्मियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तुरन्त घटनास्थल पर पहुँचकर गंगा नदी में डूब रहे लोगों को बचाने का अभ्यास किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को बोट सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को भी बताया गया तथा डेमो के माध्यम से दिखाया गया। मॉक

अभ्यास में शामिल एस०डी०आर०एफ० की टीम द्वारा बाढ़ में फँसे पशुओं को सुरक्षित निकालने के तरीके डेमो के माध्यम से गई।

मॉक अभ्यास के समाप्ति के बाद उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए श्री अभिषेक कुमार राय, उप कमान्डेंट, 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० ने कहा कि बिहार राज्य बाढ़ जैसी आपदा के मद्देनज़र बहुत ही संवेदनशील है। नौका दुर्घटना व उससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए गंगा दियारा क्षेत्र के लोगों में जागरूकता बढाने के उद्देश्य से इस मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया।

श्री पी० एन० राय, सदस्य, बी०एस०डी०एम०ए० ने इस मॉक अभ्यास के सफल आयोजन पर एन०डी०आर०एफ०, एस०डी०आर०एफ० तथा अन्य एजेंसियों की प्रशंसा किया तथा इस तरह के मॉक अभ्यास को लगातार कराने पर बल दिया।

श्री व्यासजी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आपदा से निपटने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित नौका परिचालन से निश्चित रूप से होने वाले हादसे को रोका जा सकता है। आपदा से निपटने के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और इच्छाशक्ति बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को तैराकी में निपुण होने पर भी जोर दिया।

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, 01-07 जून

बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, 2019 (1–7 जून) के कार्यक्रमों के क्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.06. 2019, सोमवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता करते हुए श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, प्राधिकरण ने कहा कि बाढ़ की तैयारी के लिए पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे– पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव से गुजरने वाले तटबंध का निरीक्षण स्वयं करें जिसमें रेनकट, रैटहोल, कमजोर स्थल इत्यादि के बारे में जल संसाधन विभाग को अवगत करायें। तटबंधों के 24 घंटे निगरानी हेतु होमगार्ड की नियुक्ति जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जाता है। पंचायत प्रतिनिधि, समन्वय स्थापित कर इनसे तटबंधों का निरीक्षण कराते रहें। जहां पर बाढ़ शरणालय स्थल का निर्माण किया गया है उन केन्द्रों पर महिला एवं पुरूष के लिए अलग–अलग शौचालय, पीने के पानी, आंगनबाड़ी केन्द्र, मेटरनिटी हट इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका के सहयोग से नाजुक लोगों जैसे– छोटे बच्चे, गर्भवती महिला, दिव्यांग, बीमार इत्यादि की सूची पहले से तैयार कर लिया जाए। गांव में यह भी सुनिश्चित करें कि सुरक्षित नाव उपलब्ध है। उस पर भार वाहन क्षमता का चिन्ह्, लाईफ जैकेट, लाईफ ब्याय इत्यादि उपलब्ध हों।

डॉ0 यू0के0 मिश्र, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि जन प्रतिनिधियों द्वारा अपनी कर्तव्यों का निर्वहन धर्म मानकर करनी चाहिए।

श्री पी0एन0 राय, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि गांव की आपदा प्रबंधन योजना बनाते समय हमें

बाढ़ के अतिरिक्त अन्य आपदाओं के न्यूनीकरण को भी ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। जिससे गर्मी के तापमान में बढ़ोतरी के साथ भू–जल स्तर भी काफी घट रहा है। अगलगी की घटनाऐं घटित हो रही है।

रघुवंश कुमार सिन्हा, सलाहकार, पंचायतीराज विभाग ने कहा कि पंचायतीराज अधिनियम के अंतर्गत सभी पंचायत सदस्यों मुखिया, सरपंच को अपने दायित्व का निर्वहन एक नेता के रूप में निभाना चाहिए। आपदाओं के प्रबंधन में समुदाय की सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

श्री घनश्याम मिश्रा, सलाहकार, यूनिसेफ ने बिहार रोड मैप – 2015–30 में आपदाओं के प्रबंधन में पंचायतों की क्या भूमिका हो सकती है, उसपर प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें मुख्य रूप से बाढ़ प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, आपदारोधी हरित भवन इत्यादि में पंचायतों की क्या भूमिका हो सकती है, पर प्रकाश डाला।

श्रीमती पूनम, सहायक निदेशक, आई0सी0डी0एस0 ने कहा कि पूरे राज्य में 26000 निजी भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें से बहुतायत भवनों में शौचालय एवं पेय जल की सुविधा नहीं है। इसके लिए विभाग द्वारा बारह हजार रूपया शौचालय के लिए तथा दस हजार रूपया पेय जल की उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 600 सेंटर के रिनोवेसन का कार्य कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में जितने भी सेंटर बनाये जायेंगे, आपदारोधी एवं चाइल्ड फ्रेंडली भवनों का निर्माण किया जायेगा जो बच्चों के लिए एक लर्निंग सेंटर भी होगा और यह भी कहा कि गांव को यदि कुपोषण से मुक्त करना है तो बिना पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से नहीं हो सकता है।

राज्य आपदा मोचन दल, डिप्टी कमाण्डेंट के द्वारा बताया गया कि दस जिलों में आपदा मोचक दल की टीम को स्थापित किया गया है जो बाढ़ पूर्व तैयारी को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर समुदाय के लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय आपदा मोचक दल के डिप्टी कमांडेण्ट के द्वारा बताया गया कि बाढ़ के दौरान जब भी हम लोग रेस्कयू का काम करते हैं उस समय पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। पंचायत प्रतिनिधि ही हमें बता सकते हैं कि प्रभावित क्षेत्र में कौन सबसे नाजुक लोग हैं जिनका तत्काल रेस्कयू करना अतिआवश्यक है।

इस अवसर पर डॉ सतेन्द्र, श्री अजित कुमार समैयार, वरीय सलहाकार, डॉ0 मधुबाला, परियोजना पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री बंकु बिहारी, यूनीसेफ के अतिरिक्त विभिन्न पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज के अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

Consultative Workshop on Partnership with Media for Disaster Risk Reduction and Saving Lives पर कार्यशाला

यूनिकोड यहां बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से **Consultative Workshop on Partnership with Media for Disaster Risk Reduction and Saving Lives ** पर कार्यशाला का आयोजन दिनांक ..... रोज मंगलवार को किया गया।

कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपाध्यक्ष श्री व्यास जी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से सरकार और उसके विभिन्न अगों को जोड़ने वाला मीडिया ही है। अतः यदि हम आपदा प्रबंधन के लाभों को अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसमें मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। हमारे राज्य और देश की मीडिया बहुत जागरूक है और मीडिया की इसी जागरूकता के कारण सरकार के सभी अंग भी चौकन्ने रहते हैं और जिम्मेदारी पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह करते है। मीडिया की भूमिका केवल सूचना तक ही सीमित नहीं होती है बल्कि सूचनाओं के माध्यम से शिक्षित करने की होती है इस कार्यशाला से जो अपेक्षाएं है कि मीडिया आपदा प्रबंधन में लोगों को शिक्षित करने, लोगों को जागरूक करने के लिए आपदा प्रबंधन के तीनो चरणों यथा पूर्व तैयारी, आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव तथा आपदाओं के उपरांत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के संबंध में लोगों को सही जानकारी प्रदान कर जागरूक करना एवं प्रभावित लोग किस तरह से अपनी पूर्ववत स्थिति को पा सकें, इसके बारे में जानकारी प्रसारित करना है.

सरकारी तंत्र के साथ–साथ मीडिया जनता को भी जागरूकता बनाती है और उन्हें उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति सजग बनाती है। आपदा प्रबंधन में भी एक सजग समुदाय आपदाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सदस्य डॉ. उदय कान्त मिश्र ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से मीडिया को आपदा प्रबंधन से जोड़कर और समन्वय में काम करने की जो शुरूआत आज हो रही है वह निरंतर जारी रहेगी और हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री के सुरक्षित बिहार के सपने को साकार करेंगे।

आज आपदा प्रबंधन तंत्र और मीडिया दोनों को आवश्यकता है एक दूसरे को और बेहतर ढंग से समझने की और साथ मिलकर तथा समन्वय के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने की। जहाँ एक ओर हमें मीडिया की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझना होगा वहीं दूसरी ओर उन्हें आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारियों देकर उन्हें संसाधन के रूप विकसित करने की भी आवश्यकता है।

सदस्य श्री पी.एन राय ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से मीडिया हम मीडिया के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक जनजागरूकता फैला सकें।

आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव श्री रामचंद्रुडु ने बताया कि विभाग द्वारा आपदाओं के हर विषयों पर एडवाइसरी जारी की जाती है जिनका मीडिया के मध्यम से जन–जन प्रचार प्रसार आवश्यक है जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पंहुच सकें तथा उन्हें जागरूक कर सकें।

हिंदुस्तान टाइम्स के सहायक संपादक श्री अरुण कुमार ने बताया कि मीडिया मुख्य रूप से सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन उपलब्ध करता है और इसके इतर मीडिया कि भूमिका में आज कल सजग रहने कि आवश्यकता है जो कि एक फेक न्यूज़ की भी जमात खड़ी हो रही है जिससे समुदाय में सूचना अफवाह का रूप लेकर तमाम विकृतियाँ पैदा करती है.

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, 01-07 जून

बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं से संबंधित विभागों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला

बिहार राज्य आापदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से ''बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, (01–07 जून, 2019) के आखरी दिन ''बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं से संबंधित विभागों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला'' का आयोजन किया गया। जिसमें सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं से संबंधित विभागों यथा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायतीराज विभाग एवं अति बाढ़ प्रवण 15 जिलों के आपदा प्रबंधन प्रभारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारियों पर एक गहन–विचार मंथन किया गया।

इस कार्यशाला में पिछले वर्ष बाढ़ सुरक्षा के लिए निर्धारित कार्ययोजना के आधार पर विभागवार समीक्षा की गयी, जिसमें विभागों के नोडल पदाधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से किये गये कार्यों को बताया तथा आने वाले मानसून के पहले की जाने वाली तैयारियों का विवरण भी दिया।

इस कार्यशाला में यूनिसेफ के श्री बंकु बिहारी सरकार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि बाढ़ के दौरान सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं का काफी नुकसान होता है उनमें 79 प्रतिशत विद्यालय बंद हो जाते है और 19 प्रतिशत शौचालय क्षतिग्रस्त हो जाते है और 45 प्रतिशत विद्यालय लगातार तीन सप्ताह तक बंद रहते हैं एवं 34 प्रतिशत विद्यालयों में राहत केन्द्र स्थापित किया जाता है और 37 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र बंद हो जाते हैं और 61 प्रतिशत चापाकल प्रभावित होते हैं और जिस तरह की आवश्यक सेवाऐं आपदा में प्रभावित होती है उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है।

माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, श्री लक्ष्मेश्वर राय, ने अपने संबोधन में कहा कि आपदा के क्षेत्र में एक भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, हमें इस सेवाभाव से कार्य करना है। उन्होंने विभिन्न जिलों से आये पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सिर्फ नौकरी नहीं करनी है बल्कि आपदा पीड़ितों को सहायता पहुंचाकर और उनकी जान बचाकर परोपकार करना है। बिहार में बड़े पैमाने पर भूकम्प जैसी आपदा में क्षति से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर अभियंताओं/वास्तुविदों एवं राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जोकि अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। उन्होंने ने कहा कि आपदा प्रबंधन, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–अध्यक्ष, प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में से एक है और हमसब को मिलकर पूरे

बिहार को आपदाओं से सुरक्षित बिहार बनाने के लिए परोपकारी कार्य करने होंगे। हमें भी जापान की तर्ज पर बिहार को देश में एक मॉडल राज्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, प्राधिकरण ने कहा कि आपदाओं में सर्वाधिक संवेदनशील समूहों में बच्चे एवं महिलायें आते हैं। बाढ़ के दौरान इन बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है, स्वास्थ्य सेवाऐं प्रभावित होती हैं, बच्चे कुपोशण का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा अमर्त्यसेन एवं ज्यां द्रेज ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जो खर्च होता है वह इनवेस्टमेंट है न कि एक्सपेंडिचर। अगर बच्चे सशक्त, सुरक्षित रहेंगे तभी आने वाली आपदाओं से मुकाबला करने में सक्षम हो पायेगें। अतएव आवश्यक है कि विभिन्न सामाजिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेगें तभी हम आपदाओं से सुरक्षित बिहार बना पायेगें।

डॉ0 यू0के0 मिश्र, सदस्य, प्राधिकरण ने कहा कि हमारे देश में वर्षगांठ मनाने का अनूठा तरीका प्रचलित रहा है। आज पटना घोषणा पत्र की वर्षगांठ है। हम देखें कि पिछले वर्ष क्या था जो हम नहीं कर पायें, क्या था जो हमने अच्छा किया था और क्या है जो हम अगले वर्ष अच्छा करेंगे इस आधार पर हमसब बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियां करें और मानव सेवाभाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक, डॉ0 डी0के0 गुप्ता ने बताया कि बाढ़ पूर्व तैयारियों के संदर्भ में वर्ष, 2018 में अति बाढ़ प्रवण 15 जिलों के लगभग 25 सौ ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण भी यूनिसेफ के सहयोग से कराया गया तथा जोखिम संभावित स्वास्थ्य उप केन्द्रों की पहचान की गयी थी।

समाज कल्याण विभाग की सहायक निदेशिका, श्रीमती पूनम सिन्हा ने पिछले वर्ष बाढ़ पूर्व तैयारियों के बताया कि लगभग क्रम में 27 हजार सेविकाओं का प्रशिक्षण यूनिसेफ के सहयोग से कराया गया था।

भोजनावकाश के बाद पांच ग्रुपों में निम्न बिन्दुओं बाढ़ के पूर्व तैयारियों के लिए कार्ययोजना, बाढ़ के दौरान त्वरित कार्यों के लिए कार्ययोजना, आपदा प्रबंधन विभाग/बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं विभाग से सहयोग की अपेक्षा पर ग्रुप डिस्कशन कर प्रस्तुती दी गई।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारी के अतिरिक्त कई अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।

''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में मीडिया की भूमिका'' पर कार्यशाला

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में मीडिया की भूमिका'' पर आधे दिन 18.06.2019 को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य था।

- मीडिया का आपदा जोखिम प्रबंधन एवं न्यूनीकरण विषय पर संवेदीकरण करना।
- आपदा जोखिम प्रबंधन एवं न्यूनीकरण विषय पर मीडिया कि भूमिका को सुस्पष्ट करना।
- आपदा प्रबंधन संबंधी जागरूकता हेतु समुदाय, मीडिया एवं सरकार के बीच एक सेतु का निर्माण।

इस कार्यशाला की शुरुआत में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों एवं कार्यशाला की रूप रेखा पर चर्चा की गयी एवं कार्यशाला से क्या अपेक्षाएँ, है इसको प्राधिकरण के सदस्यों एवं उपाध्यक्ष द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया। आगे की कड़ी में बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 का प्रस्तुतीकरण किया गया एवं उसके प्रमुख विंदुओं, जैसे लक्ष्य, उपागम, कार्यविधियाँ एवं सभी संबन्धित विभागों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से बताया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों को अलग–अलग प्रभाग के परियोजना पदाधिकारियों एवं वरीय सलाहकारों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मीडिया के उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गयी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ।ै के इलाज के संबंध में उठाए गए कदमों की सम्यक प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरणों के उपरांत मीडिया के प्रतिनिधियों से खुले सत्र में चर्चा की गयी एवं उनके विचारों एवं दृष्टिकोण को कार्यशाला में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रमुख रूप से जो बातें मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा कही गयीं, इस प्रकार हैं–

- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समय–समय कार्यक्रमों की जानकारी नियमित रूप से मीडिया के साथ साझा करना।
- प्राधिकरण की तरफ से संबन्धित विषयों के पदाधिकारी मीडिया घरानों से संपर्क कर प्रस्तुतीकरण दें, और बताएं कि सरकार एवं प्राधिकरण आपदा जोखिम प्रबंधन एवं न्यूनीकरण के लिए क्या कर रहे हैं और किस तरह की नीतियाँ एवं गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
- मीडिया के उन सभी प्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण किया जाय जो प्रमुख रूप से आपदा प्रबंधन विषय की रिपोटिंग के लिए जिम्मेदार हैं एवं इसके लिए मीडिया घरानों में उच्च स्तर से संपर्क एवं समन्वय की आवश्यकता है।
- उपस्थित प्रतिभागियों ने, जिलों के स्तर पर भी मीडिया प्रतिनिधियों के संवेदीकरण एवं उन्मुखीकरण पर ज़ोर दिया और कहा कि उनका संवेदी ज्यादा आवश्यक है क्योंकि समुदाय स्तर पर वे लोग ही ज्यादा संपर्क में रहते हैं।

इन्ही चर्चाओं के साथ कार्यशाला का समापन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, सदस्य द्वय डॉ उदयकांत मिश्र, श्री पी. एन. राय, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव श्री रामचंद्र डुडु, हिंदुस्तान टाइम्स के श्री अरुण कुमार एवं मीडिया के प्रतिनिधि, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदाधिकारी गण आदि मौजूद थे।

दानापुर–छपरा दियारा गंगा नदी में बाढ़ बचाव पर आधारित एक संयुक्त मॉकड्रिल–"मदद" का आयोजन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से बाढ़–बचाव पर आधारित एक संयुक्त मॉक अभ्यास "मदद" का आयोजन, दानापुर – छपरा दियारा गंगा नदी में दिनांक 11.04.2019 को 9 बटालियन एन.डी.आर.एफ. श्री विजय सिन्हा, कमान्डेन्ट के कुशल नेतृत्व में किया गया। इस संयुक्त मॉक अभ्यास में 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया जिसमें एन०डी०आर०एफ० के साथ भारतीय सेना (बिहार रेजिमेंट सेन्टर, दानापुर), एस०डी०आर०एफ०, बिहार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन, सिविल डिफेन्स, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा, बिहार स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, एन०सी०सी०,एन०एस०एस०, विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों व छात्राओं तथा स्थानीय लोगों शामिल थे।

इस संयुक्त मॉक अभ्यास में श्री व्यासजी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर डॉ0 मुज़फ्फर अहमद, भूतपूर्व सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री पी० एन० राय, सदस्य, बी०एस०डी०एम०ए०, श्री विजय सिन्हा, कमान्डेंट, 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ०, श्री रवि कान्त, द्वितीय कमान अधिकारी, ट्राफिक पुलिस अधीक्षक (पटना पश्चिम) तथा अन्य विशिष्ट लोग मौजूद थे।

बाढ़ बचाव पर आधारित इस मॉक अभ्यास "मदद" के प्रथम चरण में एन०डी०आर०एफ० के बचावकर्मियों द्वारा स्थानीय घरेलु सामानों की मदद से राफ्ट बनाने की विधि तथा इसका उपयोग के तरीके बताये गए। फिर, बाढ़–बचाव के विभिन्न तकनीक व डूबे हुए व्यक्ति के अस्पताल पूर्व चिकित्सा की जानकारी डेमो व अभ्यास के माध्यम से दी गई।

दूसरे चरण में गंगा नदी में एक सिविल नौका दुर्घटना का चित्रण किया गया था। बोट दुर्घटना के बाद स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा प्रथम रेस्पांडर के रूप में कार्यवाही की गई। फिर, अन्य लोगों को बचाने के लिए ड्यूटी में नजदीक के घाट पर तैनात एन० डी० आर० एफ० टीम को बुलाया गया। एन०डी०आर०एफ० के बचावकर्मियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर पहुँचकर गंगा नदी में डूब रहे लोगों को बचाने का अभ्यास किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को बोट सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को भी बताया गया तथा डेमो के माध्यम से दिखाया गया। पानी में डूब रहे पीड़ितों को बचाने के बाद उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु एन०डी०आर०एफ० के जलीय एम्बुलेन्स की मदद से अस्पताल भेजने का अभ्यास भी किया गया।

मॉक अभ्यास के समाप्ति के बाद उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए श्री विजय सिन्हा, कमान्डेंट, 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० ने कहा कि बिहार राज्य, बाढ़ जैसी आपदा के मद्देनज़र बहुत ही संवेदनशील है। नौका दुर्घटना के विभिन्न घटनाओं में बहुत लोगों ने अपने जानें गँवाई है। नौका दुर्घटना व उससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए गंगा दियारा क्षेत्र के लोगों में जागरूकता बढाने के उद्देश्य से इस मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया है।

डॉ० मुज़फ्फर अहमद, भूतपूर्व सदस्य, एन०डी०एम०ए० ने इस मॉक अभ्यास के सफल आयोजन पर एन०डी०आर०एफ० तथा बी०एस०डी०एम०ए० की प्रशंसा की तथा इस तरह के मॉक अभ्यास को लगातार कराने पर बल दिया।

श्री व्यासजी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस अवसर पर अपने समापन भाषण में कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने मानसून से पहले एन०डी०आर०एफ० द्वारा दियारा क्षेत्र में बाढ़–बचाव विषय पर किये गये इस वृहद संयुक्त मॉक अभ्यास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और इच्छाशक्ति बहुत जरूरी है।

एन०डी०आर०एफ० द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में भूकम्प सुरक्षा पर संयुक्त मॉक अभ्यास 'सहयोग' का आयोजन

9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० बिहटा, पटना द्वारा शनिवार (27 अप्रैल) को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के समन्वय से माननीय पटना उच्च न्यायालय में भूकम्प सुरक्षा पर संयुक्त मॉक अभ्यास "सहयोग" का सफल आयोजन किया गया। इस मौके पर माननीय पटना उच्च न्यायालय के श्री बी० बी० पाठक, रजिस्ट्रार जनरल, श्री शैलेन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन, श्री आलोक पाण्डेय, रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन तथा 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० के श्री विजय सिन्हा, कमान्डेंट, श्री रवि कान्त, द्वितीय कमान अधिकारी, श्री कुलदीप कुमार गुप्ता, उप कमान्डेंट, डॉ० ललन कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

भूकम्प सुरक्षा पर आधारित इस संयुक्त मॉक अभ्यास में माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्टाफ के साथ–साथ 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ०, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, एस०डी०आर०एफ०, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड तथा राज्य मेडिकल सेवा की टीमों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया तथा इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

माननीय पटना उच्च न्यायालय परिसर में शनिवार को दोपहर 02:30 बजे अचानक इमरजेंसी सायरन बजा जो कि इस बात का सूचक था कि भूकम्प आ चुका है। तुरन्त, उच्च न्यायालय परिसर में मौजूद सभी स्टाफ ने "झुको", ढको" व "पकड़ो" ड्रील अपनाया। फिर पटना उच्च न्यायालय परिसर के आपातकालीन निकास दल द्वारा सभी लोगों को तरतीबवार असेम्बली एरिया में एकत्रित किया गया। तत्पश्चात उनकी गिनती की गई। फिर माननीय पटना उच्च न्यायालय में गठित की गई खोज व बचाव टीम ने भूकम्प के बाद भवनों में फँसे घायलों को निकालने का अभ्यास किया। प्राथमिक चिकित्सा दल द्वारा घायलों को अस्पताल–पूर्व चिकित्सा देने का भी अभ्यास किया गया।

इस मॉक अभ्यास के दौरान 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० की टीम चित्रित किये गए दृश्यों के अनुसार भवनों में फँसे 07 पीड़ितों को रोप रेसक्यू तकनीक तथा अन्य तरीकों से सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया। इस दौरान एन०डी०आर०एफ० की टीम द्वारा भवनों में फँसे पीड़ितों को खोजने के लिए प्रशिक्षित स्वान दस्ता तथा विक्टिम लोकेटिंग कैमरा का इस्तेमाल किया गया। फिर घायलों को अस्पताल–पूर्व चिकित्सा मुहैया कराकर बेहतर चिकित्सा के लिए उन्हें तुरन्त एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। मौके पर उपस्थित माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्टाफ तथा अन्य एजेंसियों की जानकारी के लिए कार्यक्रम के आखिर में एन०डी०आर०एफ० द्वारा आपदा प्रबंधन उपकरणों का एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

श्री विजय सिन्हा, कमान्डेंट, 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० ने कहा कि भूकम्प जैसी आपदा में नुकसान न हो इसके लिए जरूरी है कि इस प्रकार के मॉक अभ्यास का आयोजन नियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज के इस मॉक अभ्यास के आयोजन से पहले माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्टाफ को 01 सप्ताह का भूकम्प सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया। भूकम्प आने पर अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक पहलूओं तथा रेस्पांस मैकेनिज्म को भी बताया गया तथा इसका अभ्यास करवाया गया। उन्होंने आगे बताया कि भूकम्प अथवा अन्य आपदा को रोका नहीं जा सकता लेकिन आपदा से पूर्व हमारी तैयारी, प्रशिक्षण तथा जागरूकता निश्चित तौर पर आपदा से होने वाले नुकसान को रोक सकता है।

भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल

बिहार सरकार द्वारा वर्ष, 2012 में जारी संकल्प के क्रम में 15–21 जनवरी तक भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का आयोजन पूरे राज्य में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से किया जाता है।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पटना के विभिन्न कार्यालयों/अस्पतालों/ अपार्टमेंट/मॉल आदि में समय–समय पर अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा मॉकड्रिल के आयोजन का निर्णय लिया गया। तद्नुसार पाटलीपुत्रा, कुर्जी रोड, पटना स्थित पी0 एंड एम0 मॉल में दिनांक–10.4.2019 को एस0डी0आर0एफ0 एवं विभिन्न हितभागियों, जैसे, पटना ट्रैफिक पुलिस, पटना पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, बिहार अग्नि शाम सेवाएं, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, रूबन हॉस्पिटल एवं सिविल डिफेंस के सहयोग से भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 150 मॉल के कर्मचारी तथा आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। मॉकड्रिल के दौरान सभी गंभीर घायलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए रूबन अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाया गया।

''सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम- महिलाओं का मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षण''

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा चलाये जा रहे ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत गुरूवार दिनांक 21.06.19 को NINI, गायघाट में महिलाओं के प्रथम बैच मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार श्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा उठाये गये कदम अत्यंत सराहनीय है। देश का यह पहला राज्य है जहां सुरक्षित तैराकी का प्रशिक्षण आम जन मानस को दिया जा रहा है जिससे कि डूबने से होने वाली मृत्यु की घटनाओं की रोकथाम तथा उसमें कमी लाई जा सकेगी। माननीय मंत्री ने कहा कि पर्व– त्योहारों में डूबने की घटना अक्सर पानी की गहराई की जानकारी नहीं होने एवं जागरूकता के अभाव में होता है। अगर राज्य की बेटियां तैराकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर मास्टर ट्रेनर्स बन जाती हैं, तो आवश्य ही ये लोग खुद का ही नहीं बल्कि आपने आस पास के गाँवों के लोगों, बच्चों को प्रशिक्षित करेंगी।

प्राधिकरण के सदस्य, श्री पी0 एन0 राय ने कहा कि ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के नदियों के 05 कि0 मी0 की सीमा में अवस्थित गाँवों के तैराकी न जानने वाले अथवा का अल्पज्ञान रखने वाले 06–18 वर्ष आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को तैराकी सिखाने एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु नदियों के किनारे अवस्थित गाँवों के तैराकी जानने वाले युवक/युवतियों को ''मास्टर ट्रेनर्स'' के रूप में प्रशिक्षित किये जाने का कार्य आरंभ किया गया है। मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न हितधारकों के सहयोग से प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल में तैराकी एवं डूबते को बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के विभिन्न तरीकों के बारे में कौशल विकास, बाल सुरक्षा के मुद्दों,

सर्पदंश, बंशीजाल बनाना एवं उपयोग का तरीका, प्राथमिक उपचार, सी0पी0आर0, घरेलू संसाधनों के उपयोग से इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट बनाने एवं इनके उपयोग को समाहित किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल का ट्रायल पटना जिले के चयनित मास्टर ट्रेनर्स के साथ NINI में किया गया था तथा प्राप्त अनुभवों का समावेश करते हुए उसे अंतिम रूप दिया गया है। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में उन गाँवों/मुहल्लों को भी शामिल किया जायेगा जिनमें बड़े तालाब एवं अन्य जल निकाय अवस्थित होंगे तथा जिसमें नागरिक स्नानादि करते हों।

कार्यक्रम के नोडल परियोजना पदाधिकारी, डॉ० जीवन ने कहा कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम गंगा नदी के किनारे स्थित गाँवों को लिया गया है तथा जिलों से प्राप्त तैराकी की सूची से मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर NINI, SDRF एवं UNICEF के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत महिलाओं के प्रथम बैच में पटना जिले के मनेर एवं फतुहाँ प्रखंड के गाँवों की 31 तैराक महिलाओं के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का कार्य दिनांक 13 से 21 जून, 2019 तक गायघाट स्थित NINI में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य, कैप्टन सुमंत सहाय, यूनिसेफ के विरेन्द्र पाण्डेय आदि मौजूद थे।

जल संकट एवं उसका समुदाय तथा विभिन्न सेवाओं पर प्रभाव विषय पर एक दिवसीय मंत्रणा

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 26.06.2019 को ''जल संकट एवं उसका समुदाय तथा विभिन्न सेवाओं पर प्रभाव'' विषय पर एक दिवसीय मंत्रणा हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन, मुख्य अतिथि जल पुरूष, श्री राजेन्द्र सिंह ने करते हुए कहा कि जल संकट एक तरह की आपदा का रूप ले रहा है। जल संकट धीरे–धीरे विकराल रूप ले रहा है, जिसे कि हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं रख सकते है। देश के 17 राज्यों में जल संकट है, जिसमें बिहार पांचवे नम्बर पर है। अभी बिहार की हालत देश के अन्य राज्य के मुकाबले बेहतर है। बिहार के ताल, पाल, छाल के साथ–साथ आहर, पाईन को भी समझने की जरूरत है, जिसके लिए राज्य और समाज दोनों को साथ कार्य करना पड़ेगा, साथ ही साथ जल साक्षरता की ओर कदम बढ़ाना होगा।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी ने कहा कि जिस प्रकार हम अपने बैंको से पैसों की लेन देन तभी कर पाते है जब हमारे बैक खाते में राशि रहती है। उसी तरह से जमीन के नीचे पानी तभी ले पायेगें तब तक जब पानी जमीन के अंदर रह पायेगा। अतः हम सब को पानी का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। वर्तमान में यह

समस्या है कि कई जिलों में पानी की आपूर्ति टैंकरों द्वारा की जा रही है। असमय वर्षा होना, यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है कि जब हमें पानी की आवश्कता होती तो वर्षा नहीं होती है।

उन्होंने कहा कि हम अपने पारम्परिक व प्राकृतिक जल संसाधनों व श्रोतों और पानी सहेजने की तकनीकों, तरीकों को भूलते जा रहे हैं। साथ ही हम अपने परम्परागत जलश्रोतों का अतिक्रमण कर उनके लाभ से वंचित हो रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि जल संकट के गहराती समस्या के समाधान पर विचार किया जाय एवं इस संकट से उबरने के लिए वास्तविक रूप से करने योग्य उपाय ढूढ़े जाएं। इन्ही के संदर्भ में जल संकट एवं उसका समुदाय तथा सेवाओं पर प्रभाव विषय पर मंत्रणा करने हेतु एक आयोजन का प्रस्ताव है जिसमें विशेषज्ञों, इस विषय पर कार्य करने वालों से परिचर्चा किया जाय जिससे सही व उचित कार्य योजना सभी संबन्धित के लिए तैयार हो सके।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवस्ताव ने कहा कि राज्य के सुखाड़ प्रभावित 20 जिलों के 334 पंचायत को चिन्हित किया गया है जहाँ भू–जल स्तर में गंभीर गिरावट आयी है। लघु जल संसाधन विभाग की रपट के अनुसार राज्य के 19 जिलों (बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली) के 102 प्रखंडों में भूमिगत जलस्तर क्रिटिकल स्तर तक पहुँच गया है। राज्य में पिछले 13 वर्षों से वर्षा जल में 400 से 700 मिलीमीटर गिरावट देखने को मिली है। वर्षा जल की कमी के कारण खेती के लिए सिचाई की भी निर्भरता भूमिगत जल पर ही निर्भर होती जा रही है। प्राधिकरण के सदस्य, डॉ0 उदय कांत मिश्र ने कहा कि हमारे पृथ्वी पर जो जल है उसमें मिठास बनी रहनी चाहिए। तालाब बनने से जल स्तर से काफी सुधार होता है। पेड़ पौधे भी जल स्तर वृद्वि में सहयोग प्रदान करती है। हम अपने घरों में अपने खर्चे से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बनवाना चाहिए। बरसात के दौरान पानी छतों के माध्यम से हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। अकीरा मियावाकी पद्धति के माध्यम से शहरों में हरियाली लायी जा सकती है।

प्राधिकरण के सदस्य, श्री पी.एन. राय ने कहा कि जल ही हमारा कल है। हमारे यहां नदियां बहुत है लेकिन उसके बावजूद जल संकट उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वर्षा जल का संचयन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी वर्षा जल संरक्षण होना चाहिए तभी हम अपने भू–जल संपदा को संरक्षित कर सकते हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार:

नीति आयोग के संयोजित जल प्रबंधक सूचकांक Composite Water Management IndeÛ& CWMI) का पूर्वानुमान है कि पानी की माँग 2030 तक आपूर्ति से दुगनी होगी।

2020 तक 21 शहरों का भूजल समाप्त हो जाने की संभावना है जिसमें कि चेन्नई, बंगलुरू और हैदराबाद जैसे बड़े शहर शामिल है।

सुरक्षित पानी के अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हर साल लगभग 2,00,000 लोगों की मौत होती है।

70% जल संसाधन प्रदूषित हैं।

लगभग 60 करोड़ लोगों को पानी की अनुपलब्धता के कारण अति से घोर भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

75% घरों में पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है।

85% घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति नहीं हो रही है।

भारत में 54% कुओं के भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। इसे अब सबसे बड़ी आपदा के रूप में देखा जाएगा।

जल संकट के कारण

वर्षा के मौसम में पानी को बेकार बहने से रोका नहीं जाता है और इसकी वजह से भूगर्भ जल के भण्डारण में पानी की कमी बनी रहती है। अंततः पानी उपलब्ध न होने की स्थिति में जल के भूगर्भीय भंडार का अनियंत्रित उपयोग शुरु कर दिया जाता है। कृषकों को सिंचाई कार्य हेतु पम्पिंग सेट चलाने हेतु डीजल अनुदान भी दिया जाता है जिससे फसल सिंचाई के लिए भूजल का काफी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है।

वर्तमान में यह देखने को मिल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप मौसम का कोई निश्चित समय नहीं रह रहा है और न ही उसकी तीव्रता का कोई निर्धारित मापदण्ड है। कभी–कभी एक ही जिला में एक जगह बहुत अधिक बारिश होती है तो उसी जिला के दूसरे निकट भाग में बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है। मानसून के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़, तो ठीक उसी समय बाकी इलाके में सूखा का सामना करना पड़ता है। वर्षा की अनियमितता तथा तापमान में वृद्धि ने सुखाड़ की समस्या को बढ़ा दिया है। ऐसे में पारंपरिक जल श्रोतों की कमी ने भूमिगत जल पर कृषि की निर्भरता बढ़ा दी है। इसने स्थानीय जलचक्र को भी प्रभावित किया है।

नदियों में भी पानी की कमी देखने को मिल रही है। कई नदियों का आकार सिकुड़ गया है तथा कई बारहमासी नदियों में भी पानी वर्ष के कुछ ही महीनों तक टिका रहता है। यह एक आसन्न जल संकट की चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। बढ़ता शहरीकरण जलश्रोतों पर संकट के प्रमुख कारणों मे एक है। शहरी क्षेत्रों मे नहीं अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी परम्परागत जलश्रोतों पर संकट आ गया है, पिछले कई वर्षो से विभिन्न कारणों से पारंपरिक जलश्रोत तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। एक ओर जहाँ जल संकट बढ़ता जा रहा है वहीं दूसरी ओर जल–जनित बीमारियों का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी की कमी का असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। पानी की कमी से कई इलाकों में लोगों को प्रदूषित पानी पीना पड़ता है। इससे उन्हें कई तरह की बीमारियाँ हो रही है। प्रदूषित पानी में कई जगह फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट जैसे घातक तत्व भी शामिल हैं।

बढ़ते शहरीकरण के कारण जंगल का क्षेत्र कम होता जा रहा है, जबकि नदियों तक पानी पहुँचाने में इन्हीं जंगलों का बड़ा योगदान होता है। जंगल कम होने तथा जंगलों में जलश्रोत सूखने का सीधा असर वन्य प्राणियों पर पड़ रहा है। गर्मी शुरु होते ही पानी के लिये वे जंगल से गाँवों और बस्तियों की तरफ आने लगते हैं। जंगलों के पोखर, नदीं नाले सूख जाने से उनके सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है। वन्य प्राणियों की तादाद घटने के पीछे भी वन्य प्राणी विशेषज्ञ जल संकट को एक बड़ा कारण मानते हैं।

मंत्रणा का उद्देश्य

जल संकट के संबंध में सभी संबंधित सरकारी विभागों एवं अन्य को संवेदित करना।

कार्ययोजना बनाने पर विचार करना कि किस प्रकार जल संरक्षण हो और भविष्य के जल संकट से निपटा जाय।

मंत्रणा में विभिन्न विभागों द्वारा जल संकट एवं जल संचय पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम प्रकाश डाला गया। श्री राजीव रौशन, जिला पदाधिकारी, वैशाली,द्वारा सोख्ता निर्माण की विधि पर चरणबद्ध प्रस्तुति की गई।

इस अवसर पर श्रीमती रचना पाटिल, रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, कोआपरेटिव विभाग, श्री अरविंद चौधरी, प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, यूनिसेफ़ के श्री बंकू बिहारी सरकार, डॉ. प्रभाकर सिन्हा,श्री घनश्याम मिश्रा के अतिरिक्त राजस्व विभाग बिहार, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग,शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, भारत सरकार, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, पटना, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, एन0जी0ओ0/आई0एन0जी0ओ0, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना, चयनित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी/अपर जिला पदाधिकारी–आपदा, चयनित जिलों के उप विकास आयुक्त, चयनित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी–ICDS, नगर निगमों के पदाधिकारी आदि मौजूद थे ।

बिहार में गर्म हवाएं/लू की कार्य योजना (Heat Action Plan) पर कार्यशाला

दिनांक 15.05.2019 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गर्म हवाएं/लू से सुरक्षा एवं बचाव संबंधी जारी मार्गदशिका Heat Action Plan पर हितधारको को संवेदित करने तथा योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में विभिन्न हितधारक विभाग, यथा, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास विभाग, उर्जा विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा चयनित जिलों के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी एवं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, विभिन्न सिविल सोसाईटी संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में निर्णय हुआ कि सभी हितभागी इस वर्ष से प्रारंभ कर गर्म हवाओं/लू से आम जन के बचाव हेतु Heat Action Plan के अनुसार आवश्यक कार्रवाईयाँ सुनिश्चित करेंगे ताकि राज्य की जनमानस को लू एवं गर्म हवाओं जैसी आपदा के समय सुरक्षा की जा सके।

कार्यशाला में विभिन्न हितधारकों द्वारा गर्म हवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने हेतु रोकथाम, न्यूनीकरण, क्षमता, संवर्धन एवं पूर्व तैयारियों संबंधी की जाने वाली कार्रवाईयों एवं प्रबंधों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई तथा सभी ने उत्साह पूर्वक उसमें भाग लिया।

अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/ राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण।

भूकम्प से लोग नहीं मरते, बल्कि भूकम्प के दौरान घरों के गिरने /ढहने के कारण लोग मरते हैं। इसके अलावा भूकम्प के दौरान घरों के क्षतिग्रस्त होने से सम्पत्ति का भी बहुत नुकसान होता है।

भूकम्प के दौरान घरों के क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए राज्य सरकार ने बिहार के सभी सिविल इंजिनियर तथा प्रथम चरण में लगभग 20 हजार राज मिस्त्रियों को भूकम्प रोधी भवन निर्माण तकनीक में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है, जिसकी जिम्मेवारी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी एवं सदस्य डॉ.यू.के. मिश्रा के निदेशन में श्री वरूण कान्त मिश्र, वरीय तकनीकी सलाहकार द्वारा राज्य के सभी अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण संबंधित प्रखण्डों में तथा जिला मुख्यालय में जिले में पदस्थापित अभियंताओं का प्रशिक्षण सत्र चलाया जाता है।

जून 2019 तक 1602 असैनिक अभियंता एवं 6831 राजमिस्त्री भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक में प्रशिक्षित हो चुके हैं।

जून माह में निम्नवत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए–

(1) दिनांक 11 से 14 जून 2019 को किशनगंज जिला के **56 असैनिक अभियंताओं** को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

(2) दिनांक 11 जून 2019 को राजमिस्त्रियों के भावी प्रशिक्षक तैयार/आगामी प्रशिक्षण करने के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स सम्पादित किया गया। इस प्रशिक्षण में **56 प्रशिक्षुओं** ने भाग लिया।

(3) दिनांक 13 से 19 जून 2019 को किशनगंज जिला के 07 प्रखंडों (पोठिया, ठाकुरगंज, दिघलबैंक, बहादुरगंज, कोचाधामैन, सदर किशनगंज एवं टेढ़ागाछ) में **188 राजमिस्त्रियों** एवं अररिया जिला के 09 प्रखंडों (सिकटी, कुरसाकांटा, पलासी, जोकीहाट, सदर अररिया, रानीगंज, भरगामा, फारबिसगंज एवं नरपतगंज) में **263 राजमिस्त्रियों** को प्रशिक्षित किया गया।

(4) दिनांक 18 से 21 जून 2019 को अररिया जिला के **49 असैनिक अभियंताओं** को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

1. विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का क्रियान्वयन

इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को बाल प्रेरकों एवं फोकल शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में आपदा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाना था। अभी तक 37 जिलों में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चूका है। सिर्फ गोपालगंज जिला में विद्यालय स्तर पर यह कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो पाया है। सुरक्षित शनिवार के क्रियान्वयन दस्तावेज में वर्णित वार्षिक सारणी के अनुसार जून माह के प्रथम शनिवार को बिहार के विभिन्न विद्यालयों में "अपने गाँव के बच्चों के साथ गाँव/टोले/मोहल्ले का बाल सुरक्षा समिति के मदद से हजार्ड हंट" के बारे में फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के द्वारा जानकारी दी गयी। जून माह के दूसरे शनिवार को "अवकाश के दौरान हजार्ड हंट एवं अगलगी से बचाव का अभ्यास" की जानकारी दी गयी। तीसरे शनिवार को "अवकाश के दौरान हजार्ड हंट एवं लू/गर्म हवा, वज्रपात से बचाव का अभ्यास" दी गयी। चौथे शनिवार को "अवकाश के दौरान अपने गाँव के बच्चों के साथ गाँव/टोले का हजार्ड हंट एवं आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण" की जानकारी दी गयी।

2. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के एक दिवसीय उन्मुखीकरणः—

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश में जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी माना गया है जो जिले के सभी विद्यालयों में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। चूँकि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अन्य शिक्षा विभागीय पदाधिकारियों तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से ही इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं, अतः आवश्यक है कि विद्यालयों के साथ आवश्यक संवाद एवं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अन्य सम्बंधित पदाधिकारियों एवं सभी सम्बंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत "सुरक्षित शनिवार" के विषय में उन्मुखीकरण किया जाए। तद्नुसार मई माह के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ कर 25 जून तक शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रमण्डल एवं जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न जिलों के शिक्षा विभागीय पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण किया गया।

''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं का मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण

प्राधिकरण द्वारा डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के उद्देश्य से ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों के किनारे अवस्थित गाँवों के युवक/युवतियों को निर्धारित अर्हताओं के अनुसार मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का कार्य आरंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के प्रथम बैच में पटना जिले के मनेर एवं फतुहाँ प्रखंड के कुल 30 चयनित प्रशिक्षुओं को ''मास्टर ट्रेनर्स'' का 09 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 13.06.2019 से दिनांक 21.06.2019 तक National Inland Navigation Institute (NINI), पटना में सम्पन्न किया गया। इनमें से 9 प्रशिक्षुओं ने निर्धारित मानदण्डों को प्रशिक्षण उपरांत सफलता पूर्वक पूरा किया। फलतः उन्हें मास्टर ट्रेनर नामित किया गया। शेष 21 ने मानदण्डों को पूरा नहीं किया।

प्रशिक्षुओं को Resource Persons द्वारा एतद् विषयक प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने को बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/काँटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, संर्पदंश प्रबंधन एवं बाल संवेदनशीलता आदि विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का विवरण निम्नांकित है:–

क्र0 सं0	तिथि	जिला	प्रखण्ड	स्थान	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु	
1.	13.06.2019–21.06.2019	पटना	मनेर एवं फतुहाँ	NINI	मास्टर ट्रेनर्स	09
					तैराकी प्रशिक्षित प्रशिक्षु	21
					कुल	30

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर बिहार के सभी जिलों के प्रखण्डों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

बिहार राज्य के बहु–आपदा के संबंध में प्रखण्ड स्तर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से बिहार के सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किया गया है।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष को बहु– आपदा के जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी और इसके द्वारा आपदाओं के जोखिम की पहचान कर उससे सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्धन हो सकेगा तथा ''बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–2030'' के उद्देश्य के अनुरूप एक ''सुरक्षित बिहार'' के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी।

''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर जिला परिषद् अध्यक्षों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 27–28 जून 2019 को आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के समापन समारोह में श्री लक्ष्मेश्वर राय, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग मुख्य अतिथि थे। उनके द्वारा उपस्थित जिला परिषद् अध्यक्षों को संबोधन कर प्रमाण पत्र वितरण किया गया।

प्राधिकरण द्वारा माह नवम्बर 2018 से चयनित प्रखंडों के प्रमुखों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र.	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	27–28 नवम्बर, 2018	मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, जमुई, रोहतास, अररिया, खगड़िया, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, अरवल, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, मुंगेर, पश्चिम चम्पारण।	20
2	6–7 दिसम्बर 2018	मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खगड़िया, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, अरवल, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, पश्चिम चम्पारण, किशनगंज, भागलपुर, गया, कटिहार, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, भोखपुरा, पूर्णिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, लखीसराय, जहनाबाद।	37
3	11–12 दिसम्बर 2018	मधुबनी, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, भागलपुर, औरंगाबाद, भोखपुरा, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, अरवल, जहनाबाद, सारण, रोहतास, सिवान।	15
4	17–18 दिसम्बर, 2018	कैमूर, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, कटिहार, सहरसा, रोहतास, जहनाबाद, गया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, सारण, लखीसराय, पटना, सिवान, वैशाली, नालन्दा, मधुबनी, समस्तीपुर, भोजपुर, भागलपुर।	29
5.	27–28 दिसम्बर, 2018	नालन्दा, मधेपुरा, दरभंगा, लखीसराय, रोहतास, भोखपुरा, औरंगाबाद, भागलपुर, सिवान, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय, पश्चिम चम्पारण, कैमूर, पटना।	26
6.	3–4 जनवरी, 2019	अररिया, कटिहार, पटना, जहनाबाद, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, नवादा, मधुबनी, सुपौल, नालन्दा, गया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, सहरसा, लखीसराय, सारण, बांका, समस्तीपुर, दरभंगा, शिवहर, भोखपुरा, मधेपुरा, गोपालगंज, भागलपुर	28
7.	11–12 जनवरी, 2019	दरभंगा, गया, पूर्णिया, मुंगेर, रोहतास, कटिहार, सुपौल, नालन्दा, भोजपुर, मधुबनी, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण, सारण, पश्चिम चम्पारण	17
8.	17–18 जनवरी, 2019	कटिहार, नवादा, बेगूसराय, गया, भोजपुर, समस्तीपुर, पटना, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा	13
9.	30–31 जनवरी, 2019	खगड़िया, गया, वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर	21
10.	5–6 फरवरी, 2019	सारण, कैमूर, शिवहर, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, रोहतास, सीतामढ़ी, अरवल	25
11.	12–13 फरवरी, 2019	कटिहार, मधेपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, नवादा, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण	15
12.	9–10 मई, 2019	भागलपुर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, कि ानगंज	24
13.	30–31 मई, 2019	पूर्वी चम्पारण, बेगूसराय, सारण, पटना, खगड़िया।	17
		कुल	**287**
जिला परिषद् अध्यक्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम			
1	27–28 जून, 2019	खगडिया सहरसा, मधेपुरा, अरवल, बक्सर, सीतामढ़ी, कैमूर, मुंगेर, सुपौल, पूर्णिया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास।	16
		कुल	16

इस प्रकार माह जून 2019 तक कुल 287 प्रखंड प्रमुखों एवं 16 जिला परिषद् अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा जिलों में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण

पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलों को आवश्यक वित्तीय सहयोग दिया गया है। सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किए जाने की सूचना प्राप्त हैः–

मधुबनी 2. मधेपुरा 3. दरभंगा 4. पूर्वी चम्पारण 5. सुपौल 6. पटना 7. सारण 8. सहरसा 9. सीतामढ़ी, 10. शिवहर 11. किशनगंज 12. नालंदा 13. सिवान 14. समस्तीपुर 15. मुजफ्फरपुर 16. वैशाली 17. बांका 18. जहानाबाद 19. कटिहार 20. पश्चिमी चम्पारण 21. बक्सर 22. अररिया 23. औरंगाबाद 24. अरवल 25. नवादा 26. खगड़िया 27. शेखपुरा 28. कैमूर 29. भागलपुर 30. बेगूसराय 31. पूर्णिया 32. रोहतास 33. जमुई 34. मुंगेर 35. गोपालगंज 36. भोजपुर 37. लखीसराय 38. गया।

उपर्युक्त जिलों से प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों के आँकड़े विहित प्रपत्र में प्राधिकरण को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है एवं उन सभी जिलों से यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों का डाटा बेस तैयार कर जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। अभी तक मात्र मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, सुपौल, बांका, समस्तीपुर, सिवान, औरंगाबाद, अररिया एवं खगड़िया जिले से विहित प्रपत्र में प्रशिक्षण का ऑकड़ा प्राप्त हुआ है।

इन 13 जिलों से प्राप्त प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	जिला का नाम	जिला परिषद सदस्य (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0)	पंचायत समिति सदस्य (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0)	मुखिया (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0)	सरपंच (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0)	वार्ड सदस्य (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0)	पंच (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0)	कुल प्रशिक्षितों की सं0
1	मधुबनी	56	539	371	378	5149	5127	11620
2	मुजफ्फरपुर	25	288	263	207	1627	1291	3701
3	शिवहर	1	48	30	35	558	540	1212
4	सारण	6	294	273	239	3897	3139	7848
5	जहानाबाद	4	87	78	85	968	927	2149
6	पूर्वी चम्पारण	10	271	236	262	3234	2553	6566
7	सुपौल	15	198	146	145	1766	1631	3901
8.	बंका	13	161	117	152	1987	1912	4342
9.	समस्तीपुर	10	277	269	584	3259	3528	7927
10.	सिवान	10	272	236	253	3169	2965	6905
11.	औरंगाबाद	8	174	172	187	2494	2374	5409
12.	अररिया	22	174	172	204	2891	2828	6431
13.	खगड़िया	18	175	129	129	1864	1864	3453
कुल		**198**	**2958**	**2492**	**2860**	**32863**	**30679**	**71464**

"Management of Animals in Emergencies" विषय पर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण।

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहाँ सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती है। यह राज्य जहाँ एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप को झेलता है वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर एवं लू इत्यादि आपदओं से भी इस राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित रहता है। इन आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते है और आपदाओं की स्थिति में मानव के साथ–साथ पशु संसाधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि की आपदाओं को घटित होने से रोका तो नही जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशु चिकित्सकों का कौशल विकास कर तथा आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के मद्देनजर ''आपात स्थिति में पशु प्रबंधन'' (Management of Animals in Emergencies) विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पशु चिकित्सकों के चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार भेटनरी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में तथा World Animal Protection (WAP) और Policy Perspectives Foundation (PPF) के सहयोग से दिनांक 04 जून, 2018 से आरम्भ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में किस तरह से पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जाय। जून 2019 माह तक कुल 33 बैचों में निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित किया गया है:–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	4–7 जून, 2018	35
2	15–18 जून, 2018	35
3	20–23 जून, 2018	35
4	27–30 जून, 2018	35
5	11–14 जुलाई, 2018	35
6	16–19 जुलाई, 2018	35
7	23–26 जुलाई, 2018	35
8	28–31 जुलाई, 2018	35
9	17–20 सितम्बर, 2018	34
10	26–29 सितम्बर, 2018	35
11	3–6 अक्टूबर, 2018	34
12	7–10 अक्टूबर, 2018	30
13	11–14 अक्टूबर, 2018	35
14	2–5 जनवरी, 2019	34
15	7–10 जनवरी, 2019	35
16	16–19 जनवरी, 2019	35
17	21–24 जनवरी, 2019	35

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
18	28–31 जनवरी, 2019	35
19	4–7 फरवरी, 2019	35
20	20–23 फरवरी, 2019	35
21	25–28 फरवरी, 2019	35
22	5–8 मार्च, 2019	33
23	11–14 मार्च, 2019	31
24	24–27 अप्रैल, 2019	38
25	3–6 मई, 2019	37
26	14–17 मई, 2019	39
27	20–21 मई, 2019	39
28	22–25 मई, 2019	36
29	28–29 मई, 2019	41
30	3–6 जून, 2019	36
31	12–15 जून, 2019	41
32	17–20 जून, 2019	42
33.	26–27 जून, 2019	39
कुल		1179

इस प्रकार माह जून 2019 तक कुल 1179 पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

राज्य में केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर संशोधित जुर्माने

इस राज्य में केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 एक सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया है। संशोधित नए अधिनियम के तहत सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के कठोर प्रावधान किए गए हैं। आमजनों से अपेक्षा की जाती है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि निम्न है:–

धारा	उल्लंघन	जुर्माना पुराना प्रावधान (रुपये में)	नया जुर्माना (रुपये में)
194(डी)	बिना हेलमेट चालक व पिछली सवारी	नया प्रावधान	1000 एवं तीन माह के लिए वाहन परिचालन के लिए अयोग्य घोषित
194(सी)	दोपहिया वाहन पर दो से अधिक की सवारी	नया प्रावधान	1000 और 3 माह के लिए वाहन परिचालन के लिए अयोग्य घोषित
199(ए)	नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर	नया प्रावधान	नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे, अभिभावक या वाहन स्वामी को 25 हजार और तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 माह के लिए रद्द नाबालिग को 25 साल की उम्र तक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति या चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन निषेध।
184	खतरनाक तरीके से ड्राईविंग करने पर	1000 या 6 माह का कारावास या दोनों। पुनरावृति होने पर 2000 या दो वर्ष का कारावास या दोनों।	1000–5000 तक या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों। पुनरावृति होने पर 10000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों
189	रेसिंग और स्पीडिंग	500 या एक माह कारावास	5000 या 3 माह कारावास या दोनों। पुनरावृति होने पर 10000 एवं 12 माह का कारावास या दोनों।
181	बिना लाईसेंस गाड़ी चलाने पर	500	5000 या तीन माह का कारावास या दोनों
183(1)	ओवर स्पीडिंग	400 तक पुनरावृति होने पर 1000 तक	1000–2000 (एल.एम.वी.) 2000–4000 (मध्यम यात्री वाहन, भारी यात्री वाहन, मध्यम मालवाहक, भारी मालवाहक वाहन)

धारा	उल्लंघन	जुर्माना पुराना प्रावधान (रुपये में)	नया जुर्माना (रुपये में)
			पुनरावृति होने पर चालक को अनुज्ञप्ति जब्त किया जा सकता है।
194(बी)	वाहन चलाते समय ड्राइवर व पैसेंजर द्वारा सीट बेल्ट नहीं बांधने पर	नया प्रावधान	1000
194(ई)	एंबुलेंस, अग्निशामक वाहन या अन्य आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर	नया प्रावधान	10000 या तीन माह का कारावास या दोनों
184(सी)	गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने या अन्य संचार उपकरण का उपयोग करने पर	नया प्रावधान	1000–5000 तक या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों। पुनरावृति होने पर 10000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों।
190(2)	वाहनों से वायु/ध्वनि प्रदूषण होने पर	1000	10000 तक या 3 माह की सजा या दोनों। पुनरावृति होने पर 10000 या 6 माह कारावास या दोनों।
185	शराब पी कर वाहन चालन	2000 तक या 6 माह की सजा या दोनों। पुनरावृति होने पर 3000 या दो वर्ष का कारावास या दोनों।	10 हजार या 6 माह की सजा या दोनों। पुनरावृति होने पर 15000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों।
194(ए)	यात्री वाहन पर ओवर लोडिंग	नया प्रावधान	200 प्रति यात्री

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

अगलगी

राज्य में गर्मी के मौसम की शुरूआत हो चुकि है। पछुआ हवा भी चल रही है। ऐसे में गर्मी के मौसम में ज्यादातर गांवों में अगलगी की घटनाओं की संभावना बढ़ गयी है। आग से हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान-माल की भारी क्षति पहुँचती है तथा सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हम सब इसे रोक सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें।

अतएव अग्निकांड से बचाव हेतु जनसाधारण को निम्नानुसार सलाह दी जा रही है:-

अगलगी से बचाव हेतु उपाय :-

- दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व तथा रात का खाना शाम 6 बजे तक बना लें।
- कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगावें।
- हवन आदि का काम सुबह निपटा लें।
- भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह से बुझा दें।
- रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवाल पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें।
- रसोई घर की छत ऊँची रखी जाये।
- आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखे।
- दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
- शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
- मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम एवं निगरानी अवश्य करते रहें।
- घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये कनात अथवा टेन्ट के नीचे से बिजली के तार को न ले जायें।
- जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर-उधर न फेंके।
- जहां पर सामूहिक भोजन इत्यादि का कार्य हा रहा हो, वहां पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखा जाये। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाये।
- खाना बनाते समय ढीले ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना न बनायें, हमेशा सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।
- सार्वजनिक सीलों, ट्रेनों एवं बसों आदि मे ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूँ, खेसारी, छिमी भी बच्चे लाकर भूनते हैं ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उनपर निगरानी रखें।
- आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।
- फायर बिग्रेड (101 नम्बर) एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं उन्हें आग बुझाने में सहयोग करें।
- अगर कपड़ों में आग लगे तो उन्हें नीचे दिए गए चित्र के अनुसार बुझाने का प्रयास करें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)
द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311. visit us : www.bsdma.org : e-mail : info@bsdma.org
अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-612-2217301-305) आपदा प्रबंधन विभाग–0612-2215600

बाढ़

बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं, जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण है। राज्य की कुल आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल से सटा बिहार का मैदानी इलाका कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, अधवारा समूह की नदियों का क्षेत्र है, जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। गंगा नदी बिहार में बक्सर से कटिहार तक गुजरती है, जिसके किनारे बसे 12 जिले अक्सर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सोन, पुनपुन तथा फल्गु नदी में भी समय समय पर बाढ़ आती है। अन्य छोटी–छोटी नदियाँ भी बिहार को प्रभावित करती हैं।

- अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबूती से सीमेंट आदि से बनवाएं। बाढ़ से मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते हैं।
- घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।
  - आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि हों।
  - पालीथीन बैग या वाटरप्रूफ बैग आदि रखें जिसमें कपड़े, महंगे सामान, छाता, चीनी, नमक, और लकड़ी (सांप वगैरह भगाने के लिए)
  - मजबूत रस्सी एवं एक लम्बी लकड़ी अपने पास हमेशा रखें।
- चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टी वी देखें और स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान रखें ।
- अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएँ।
- बाढ़ से पहले बैलगाड़ी, कृषि उपयुक्त समान और पालतू जानवरों को ऊँची सुरक्षित जगह पर ले जाएं।
- बाढ़ के दौरान खाना ढंक कर रखे। हल्का भोजन करें एवं उबला हुआ पानी पिएं।

- चाय, चावल का पानी, नारियल पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और ORS व अन्य उपचार के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंन्द्र को संपर्क करें।
- बाढ़ पीड़ितों के राहत सामग्री बांटने में मदद करें।
- सबसे पहले गर्म कपड़े, जरूरी दवाएँ, कीमती वस्तुएं, निजी कागज आदि को वॉटर प्रूफ बैग में डाल कर उन्हें आपातकालीन बॉक्स में अपने साथ रख लें।
- अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।
- ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।
- नल के पानी को उबालकर तब तक पीयें जब तक कि संबंधित विभाग द्वारा हैलोजेन की गोलियां पानी में डालने के लिए उपलब्ध न करा दी गई हों।
- सांपों एवं अन्य जहरीले जन्तुओं से बचकर रहें।
- बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने से रोके।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY